



# गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(सम्प्रदेश एवं विद्यालय के अधिनियम क्रमांक १६ एवं १६.१ द्वारा स्थापित)

क्रमांक 1803 /स्था./प्रशा./2007

बिलासपुर, दिनांक 24/07/07

## आदेश

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2007 की धारा 49 के प्रावधानानुसार गठित चयन समिति को अनुसंधान पर विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 21/07/2007 के विषय क्रमांक-03-ए के निर्णयानुसार डॉ० मैगफिनस किस्पोट्ट की नियुक्ति निम्न शर्तों पर विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के अर्थशास्त्र विभाग के प्राध्यापक (अजला) के पद पर वेतनमान रूपये 8000-13500/- में दो वर्ष की परिधीता पर (जो विश्वविद्यालय परिषद के अंतर्गत नवोपस्थित अधिनियम के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकती है) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की जाती है।

कार्यभार ग्रहण की अवधि के लिये वेतन/व्याज भत्ता आदि नहीं दिया जावेगा। वेतनमान के साथ सम्बन्ध-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।

यदि परिधीताधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया अथवा विश्वविद्यालय को इनकी सेवाओं की आवश्यकता न हो तो एक माह की पूर्ण सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इनकी सेवाएँ, पालनपालन संबंधी जांच उपयुक्त एवं अवकाश पाये जाने पर ही वैध होगी।

आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम के अंतर्गत परिधीता 31 एवं अध्यादेश-4 के अंतर्गत स्थापित होंगी।

विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय लिखित रूप से सूचित करना होगा कि उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं। उपर्युक्त शर्तों में किसी प्रकार की कोई शिथिलता प्रदान नहीं की जावेगी। वेतन एवं अन्य शर्तें उपर्युक्तानुसार होंगी, अन्य कोई शर्त मान्य नहीं होगी। इस नियुक्ति में आरक्षण सेक्टर का पालन किया गया है।

नियुक्ति पर होने वाला व्यय स्थापना मद में विकल्पनीय होगा।

कार्यपरिषद के आदेशानुसार

डॉ० कुलसचिव

बिलासपुर दिनांक 24/07/07

क्रमांक 1804 /स्था./प्रशा./2007  
दिनांक

01. महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अघोषित।
02. कुलपति/कुलसचिव के सचिव/निज सहायक को कुलपति जी/कुलसचिव जी के अवलोकनार्थ।
03. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
04. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर।
05. आयुक्त, उच्च शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा एवं पेशा प्रकोष्ठ, विद्यान महाविद्यालय परिसर, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
06. विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ।
07. निताधिकारी/सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. डॉ० मैगफिनस किस्पोट्ट, बी-17, शिवम विहार, अम्लीडीह, रायपुर (छ.ग.) 496001 को इस निर्देश के साथ कि हे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण करें। कार्यभार ग्रहण करने की सूचना के साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण, आयु, जाति, पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ कार्यभार ग्रहण करते समय परीक्षण हेतु प्रस्तुत करें। कार्यभार ग्रहण तिथि से 07 दिवस के अन्दर सेवा अनुबंध भी आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन प्राधिकृत अधिकारी से कराये जाने पर यदि यह पाया जाता है कि प्रस्तुत प्रमाण पत्र असत्य अथवा गलत तथ्यों पर आधारित है, उक्त स्थिति में निरन्तर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

09. निजी नरती।